प्रकाशन हेतु अनुमोदन

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर</u>

<u>(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)</u>

<u>दांडिक अपील क्रमांक 2302 सन् 1996</u>

<u>अपीलार्थी</u> शत्रुघ्न

विरुद्ध

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश राज्य

दिनांक 26.7.2012 को निर्णय की उद्घोषणा हेतु सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायमूर्ति

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय , बिलासपुर

(माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रीतिंकर दिवाकर)

दांडिक अपील क्रमांक 2302 सन् 1996

अपीलार्थी शत्रुघ्न

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री अवध त्रिपाठी अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता

श्री प्रवीण दास प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता

दंड प्रक्रिया संहिता

की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील

निर्णय

(दिनांक 26.7.2012)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोदा बाजार द्वारा सत्र प्रकरण क्र. 203/ 1993 में पारित निर्णय और आदेश दि. 12.12.1996 के विरुद्ध प्रस्तुत की

गई है, जिसके तहत अभियुक्त/अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्ध किया गया है और दस वर्ष के कठोर कारावास के दण्डादेश व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडादिष्ट किया गया है, तथा अर्थदण्ड के भुगतान में व्यतिक्रम करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि दि. 16.3.1993 को शाम लगभग 6.45 बजे, प्रासंगिक समय पर लगभग 6 वर्ष की आयु की अभियोक्त्री द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उस दिन दोपहर लगभग 1.30 बजे जब वह स्कूल से वापस आई, तो उसके घर में अभियुक्त/अपीलार्थी एक खटिया पर लेटा हुआ था और उसके द्वारा बुलाए जाने पर वह उसकी खटिया के पास गई। उस समय उसने अंतःवस्त्र नहीं पहने थे बल्कि केवल स्कर्ट पहनी थी। जब वह अभियुक्त/अपीलार्थी के पास गई, तो उसने उसे पकड़ लिया और अपने निजी अंग को उसके निजी अंग में प्रवेश करा दिया, जिसके कारण उसे दर्द महसूस हुआ और रक्तस्राव होने लगा, लेकिन फिर भी उसने उसे नहीं छोड़ा। उसका रोना सुनकर उसकी बहन लता बाई वहां आई और उसे देखकर अभियुक्त/अपीलार्थी भाग गया। इस प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर, अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराध दर्ज किया गया। अभियोक्त्री का चिकित्सा परीक्षण दि. 17.3.1993 को डॉ. (श्रीमती) भानुदेशलहरा (अ.सा.-9) द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पी-12 के माध्यम से किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, पुलिस द्वारा दि. 4.5.1993 को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपने प्रकरण के समर्थन में, अभियोजन पक्ष ने 10 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अभिलिखित किया गया था, जिसमें उसने अपने ऊपर लगाए गए आरोप से इनकार किया और प्रकरण में अपनी निर्दोषता और झूठे फंसाए जाने का अभिवाक् किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष के समर्थन में एक फिरतिन बाई (ब.सा.-1) का भी परीक्षण किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थी को इस निर्णय के कंडिका क्र. 1 में उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध व दंडादिष्ट किया है।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष द्वारा एक अत्यंत असंभव कहानी प्रस्तुत की गई है और अभियोक्त्री की चिकित्सा प्रतिवेदन भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं करती है, क्योंकि अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसके साथ केवल बलात्कार का प्रयत्न किया गया है। अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुसार, चूंकि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री की बड़ी बहन से शादी करने से इनकार कर दिया

था, इसलिए उसे मिथ्या प्रकरण में फंसाया गया है। वह तर्क देते हैं कि अभियोक्त्री का कौमार्य अक्षुण्ण था, उसके शरीर पर कोई बाहरी या आंतरिक चोट नहीं पाई गई थी और इसलिए अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 376 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और अधिक से अधिक उसका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 376/511 के तहत आएगा और चूंकि वह पहले ही लगभग चार वर्ष तक जेल में रह चुका है, इसलिए उसे सुनाए गए दण्डादेश को उसके द्वारा पहले से काटी गई अवधि तक कम किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हैं और तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि अभियोक्त्री ने स्पष्ट रूप से उस तरीके का वर्णन किया है जिससे अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया था, कि प्रश्न प्रदर्श पी-13 का उत्तर देते समय डॉक्टर द्वारा प्रदर्श पी-13-ए के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि पीड़ा बलात्कार के कारण संभव हो सकती है और मामूली प्रवेश से विदारण नहीं हो सकता है, अतः अभियुक्त/अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायसंगत और उचित है। वह तर्क देते हैं कि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि चिकित्सा परीक्षण के दौरान अभियोक्त्री सहयोग नहीं कर रही थी और इसलिए उसकी सूक्ष्म आंतरिक जांच संभव नहीं थी और यही कारण हो सकता है कि आंतरिक चोट का पता नहीं लगाया जा सका जिसके कारण रक्तस्राव हुआ होगा। उनका तर्क है कि यहां एक कम उम्र की लड़की,

जिसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया है, उसके कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

7. पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

8. साक्ष्य अभिलिखित करने के समय लगभग 8 वर्ष की आयु की अभियोक्त्री (अ.सा.-3) ने कथन किया है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को जानती थी जो रिश्ते में उसका भाई लगता है। घटना के समय वह कक्षा 1 में पढ़ रही थी। उसके अनुसार, जब अभियुक्त/अपीलार्थी उसके घर आया था, तब उसकी बहन एक छोटी खटिया पर सो रही थी और वह खुद एक बड़ी खटिया पर सो रही थी। उसने कहा है कि जिस खटिया पर वह सोती थी , उस पर आने के बाद , अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपना निजी अंग उसके निजी अंग में प्रवेश करा दिया और उसका रोना सुनकर उसकी बहन वहां आई, अभियुक्त/अपीलार्थी को अपशब्द कहे और जब वह अपनी माँ को बुलाने गई, तो वह मौके से भाग गया। घटना के कारण, उसके निजी अंग से रक्तस्राव होने की बात कही गई है। इस साक्षी के अनुसार, उसकी माँ के वहां आने के बाद, उसने उन्हें पूरी घटना सुनाई, जो उसे पुलिस थाना और फिर अस्पताल ले गईं। प्रतिपरीक्षण में उसने कहा है कि घटना लगभग एक वर्ष पहले हुई थी लेकिन उसे उसका दिन और महीना याद नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था। उसने आगे कहा है कि अभियुक्त/अपीलार्थी के उसके घर आने के बाद, उसकी बहन ने खाना बनाया और अभियुक्त सहित उन सभी ने खाना खाया। उसके अनुसार, भोजन करने के बाद अभियुक्त/अपीलार्थी उस कमरे में सोने चला गया जहाँ वह सो रही थी जबकि उसकी बहन दूसरे कमरे में सो रही थी। अभियुक्त/अपीलार्थी ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और घटना के बाद वह भाग गया। कंडिका क्र. 4 में उसने कहा है कि उसके निजी अंग से अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा और उसने जो स्कर्ट और ब्लाउज पहना था, उस पर खून के धब्बे लग गए थे। उसके चिल्लाने पर उसकी बहन वहां आई और उसे देखकर अभियुक्त/अपीलार्थी भाग गया। घटना की जानकारी उसकी बहन ने उसकी माँ को दी और बाद में उसके द्वारा भी दी गई। तत्पश्चात उसे मंगलू, ग्राम कोटवार और उसकी माँ द्वारा पुलिस थाना ले जाया गया और शिकायत दर्ज कराई गई जैसा कि उसकी माँ ने बताया था और उसने उस पर हस्ताक्षर किए। उसने बताया है कि कभी-कभी वह अंतःवस्त्र पहनती थी और कभी नहीं। उसने कहा है कि उसकी बहन की शादी अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ करने की बात हुई थी। इसके बाद उसने कहा कि उसकी बहन की शादी अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ संपन्न नहीं होनी थी। उसने आगे कहा है कि उसकी माँ ने उसकी तीनों बहनों को बताया था कि न्यायालय में किस तरह से कथन देना है। इस साक्षी के अनुसार, उसकी माँ ने उसकी सभी बहनों को न्यायालय में यह कहने के लिए कहा था कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपना निजी अंग उसके निजी अंग में प्रवेश कराया था। सावित्री बाई (अ.सा.-4)-अभियोक्त्री की माँ ने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कहा है कि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को जानती थी और वह उसकी बहन का बेटा था। इस साक्षी के अनुसार, घटना की तारीख पर वह कई ग्रामीणों के साथ खेत में गई थी और उस समय, सुबह लगभग 11 बजे जब वह अपने घर वापस आई, तो अभियुक्त/अपीलार्थी पहले से ही वहां मौजूद था और उसके पैर छूने के बाद जब उसने उसे जाने के लिए कहा, तो उसने उसे कुछ समय रुकने के लिए कहा क्योंकि धूप बहुत तेज थी। फिर भोजन करने के बाद वह दोपहर करीब 3 बजे दोबारा खेत में चली गई। उसकी दूसरी बेटी लता आई और उसे सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ संभोग किया है। जब वह अपने घर वापस आई, तो अभियुक्त/अपीलार्थी वहां नहीं था और अभियोक्त्री खटिया पर लेटी रो रही थी और उसके कपड़े तथा बिस्तर खून से सने हुए थे। इस साक्षी के अनुसार, उस समय उसका पति बालौदा बाजार गया हुआ था। इसके बाद, उसका जेठ मंगलू आया और उसने उससे न रोने और अभियोक्त्री की देखभाल करने को कहा। ग्राम कोटवार को बुलाया गया और फिर शिकायत दर्ज कराने का निर्णय लिया गया। उसने लता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिकायत दर्ज कराई और जब उसने अभियोक्त्री को देखा, तो उसके निजी अंग से खून निकल रहा था और फिर मंगलू अभियोक्त्री को अपनी गोद में उठाकर पुलिस थाना ले गया। उसने इस तथ्य से इनकार किया है कि वह अपनी दूसरी बेटी की शादी अभियुक्त/अपीलार्थी से करने में रुचि रखती थी और चूंकि अपीलार्थी और उसकी बेटी भाई-बहन लगते हैं, इसलिए उनके समाज में कोई विवाह नहीं हो सकता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसकी बेटी की शादी अभियुक्त/अपीलार्थी से न होने के कारण कोई विवाद हुआ था और उस कारण अपीलार्थी को इस मामले में फंसाया गया है। श्यामजी (अ.सा.-1) ने कहा है कि घटना की तारीख पर जब वह आंगन में बैठा था, अभियोक्त्री की मां उसके पास आई और उसे सूचित किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ बुरा काम किया है और तब उसने उसे शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी। अभियोक्त्री की मां ने अभियोक्त्री को हो रहे रक्तस्राव को दिखाने का प्रयास किया लेकिन उसने उसे देखने से इनकार कर दिया। उसके अनुसार, प्रासंगिक समय पर अभियोक्त्री की आयु 3-4 वर्ष रही होगी। जगमोहन (अ.सा.-2)-अभियोक्त्री के पिता ने कहा है कि घटना की तारीख पर जब वह बालोदा बाजार से वापस लौटा, तो उसे एक फूल कुमारी द्वारा सूचित किया गया कि उसकी पत्नी और बेटी (अभियोक्त्री) पुलिस थाना गए हैं और जब वह पुलिस थाना पहुँचा, उसे पता चला कि उसकी पत्नी द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने के संबंध में शिकायत पहले ही दर्ज कराई जा चुकी है। हालाँकि, उसने इनकार किया है कि वह बेटीयों में से एक की शादी अभियुक्त/अपीलार्थी से करना चाहता था। लखनदास (अ.सा.-5)-ग्राम कोटवार, अभियुक्त/अपीलार्थी के अंतःवस्त्र और कपड़ों की जब्ती प्रदर्श पी-2 और पी-3 का साक्षी है। मंगलू (अ.सा.-6) - सावित्री बाई (अ.सा.-4) के जेठ ने कहा है कि जब वह अपने घर में था, तब अभियोक्त्री की मां रोते हुए वहां आई और सूचित किया कि उसकी बेटी (अभियोक्त्री) के निजी अंग से खून निकल रहा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है और अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया है। उसके अनुसार, उसने अभियोक्त्री को खटिया पर बेहोश पड़ा देखा और उसके निजी अंग से खून निकल रहा था। तत्पश्चात, वह अभियोक्त्री को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल ले गया जहाँ होश आने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त/ अपीलार्थी ने अपना निजी अंग उसके निजी अंग में प्रवेश कराया था। प्रतिपरीक्षण में, यह साक्षी अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए कथन पर अडिग रहा। जी.आर. सिन्हा (अ.सा.-7) अन्वेषण अधिकारी हैं जिन्होंने अभियोजन के मामले का पूर्ण समर्थन किया है। डॉ. सीताराम बंजारे (अ.सा.-8) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियुक्त / अपीलार्थी का चिकित्सकीय परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-10 दी, जिसमें राय दी गई कि वह संभोग करने में सक्षम था। इस साक्षी ने प्रदर्श पी-8 और पी-9 के माध्यम से कुछ कपड़ों के रासायनिक परीक्षण की सलाह भी दी थी। डॉ. (श्रीमती) भानुदेशलहरा (अ.सा.-9) वह साक्षी हैं जिन्होंने अभियोक्त्री का चिकित्सकीय परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-12 दी, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"लैबिया मेजोरा – लैबिया मेजोरा पर कोई चोट नहीं, हल्की पीड़ा उपस्थित।

लैबिया माइनोरा – लैबिया माइनोरा पर कोई चोट नहीं, हल्की पीड़ा।

योनि – योनि पर कोई चोट मौजूद नहीं, हल्की पीड़ा।

कौमार्य – उपस्थित।

<u>अभिमत</u>

(i) कोई चोट नहीं, हल्की पीड़ा मौजूद है।

(ii) योनि के आसपास कोई चोट नहीं, हल्की पीड़ा।

(iii) शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं।"

न्यायालय में इस साक्षी (अ.सा.-9) ने कहा है कि चिकित्सकीय परीक्षण के समय अभियोक्त्री सहयोग नहीं कर रही थी और बहुत कठिनाई के बाद वह उसकी जांच कर सकी। उसके अनुसार, लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा पर कोई चोट नहीं थी, कौमार्य अक्षुण्ण था, मासिक धर्म चक्र शुरू नहीं हुआ था और द्वितीयक यौन लक्षण विकसित नहीं हुए थे। उसने कहा है कि बलात्कार का प्रयास किया गया था लेकिन बलात्कार नहीं हुआ था। उसने बताया कि प्रदर्श पी-13 के माध्यम से उससे एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर उसने प्रतिवेदन प्रदर्श पी-13ए के माध्यम से दिया, जिसे नीचे शब्दशः उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) "एल. मेजोरा, एल. माइनोरा और योनि की हल्की पीड़ा बलात्कार के कारण उत्पन्न हो सकती है।

(ii) यह लिंग द्वारा उत्पन्न हो सकती है।

(iii) चूंकि लड़की असहयोगी है, अतः जांच के लिए उपकरणों का उपयोग संभव नहीं है, मामूली प्रवेश के कारण कौमार्य विदीर्ण नहीं हो सकता है।

(iv) कौमार्य पर कोई चोट नहीं देखी गई।"

न्यायालय में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि अभियोक्त्री सहयोग नहीं कर रही थी इसलिए किसी भी उपकरण को डालना कठिन था और मामूली प्रवेश से कौमार्य विदीर्ण नहीं हो सकता है। जब अभियोक्त्री को उसके पास लाया गया, तो उसे रक्तस्राव नहीं हो रहा था और पूर्ण प्रवेश की स्थिति में कौमार्य फट गया होता और लैबिया मेजोरा तथा लैबिया माइनोरा में चोट आई होती। धिराजी (अ.सा.-10) ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। फिरतिन बाई (ब.सा.-1) – अभियुक्त/अपीलार्थी की माँ ने कहा है कि सावित्री बाई (अ.सा.-4) उसकी बहन है और उसने अपनी एक बेटी की शादी उसके (इस साक्षी के) बेटे के साथ करने का अनुरोध किया था और चूंकि उसने इसके लिए मना कर दिया था, इसलिए उसकी (सावित्री बाई) ओर से धमकी दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप कुछ विवाद भी हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्त/ अपीलार्थी ने अभियोक्त्री के साथ यौन उत्पीड़न किया है — जो उस समय छह वर्ष की अल्पायु की बालिका थी। अभियोक्त्री का यह साक्ष्य कि उसके द्वारा अपनी खटिया के पास बुलाने पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे जबरन संभोग का पात्र बनाया

और चिल्लाने पर उसकी बड़ी बहन वहां आई,उसे अपशब्द कहे और तब वह मौके से भाग गया, काफी स्वाभाविक प्रतीत होता है। यहाँ तक कि अभियोक्त्री की माँ, सावित्री बाई (अ.सा.-4) ने भी कहा है कि अपनी दूसरी बेटी से जानकारी मिलने के बाद जब वह घर आई, तो अभियोक्त्री खटिया पर लेटी हुई थी और उसके कपड़े तथा बिस्तर खून से सने हुए थे। इसके अतिरिक्त, मंगलू (अ.सा.-8) का कथन कि जब वह अपने घर में था, अभियोक्त्री की माँ रोते हुए वहां आई और सूचित किया कि उसकी बेटी (अभियोक्त्री) के निजी अंग से खून निकल रहा है और अपीलार्थी ने उसके साथ बलात्कार किया है, और यह कि उसने भी अभियोक्त्री को खटिया पर बेहोश पड़ा देखा और उसके निजी अंग से खून निकल रहा था, उसने अभियोक्त्री को अपनी गोद में उठाकर अस्पताल पहुँचाया जहाँ होश आने पर उसने उसे बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपना निजी अंग उसके निजी अंग में प्रवेश कराया था, अभियोक्त्री और उसकी माँ के साक्ष्य की तात्विक विवरणों पर पुष्टि करता है। यद्यपि चिकित्सा साक्ष्य कहता है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई और कौमार्य अक्षुण्ण था, चिकित्सकीय परीक्षण करने वाली महिला डॉक्टर (अ.सा.-9) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूंकि चिकित्सकीय परीक्षण के समय अभियोक्त्री सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जा सका, और यह सब दर्शाता है कि अभियोक्त्री अत्यधिक दर्दनाक स्थिति में रही होगी और इसी कारण उसने चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान डॉक्टर का सहयोग नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जहाँ तक कौमार्य के अक्षुण्ण होने का प्रश्न है, अल्पायु की बालिका के मामले में, प्रवेश की स्थिति में कौमार्य का फटना कोई अनिवार्य नियम नहीं है। ऐसे मामलों में जहाँ कौमार्य गहरा होता है, प्रवेश के बावजूद वह नहीं फट सकता है। प्रवेश के जबरन प्रयास के मामले में भी, इसकी संभावना रहती है कि पीड़िता का कौमार्य न फटे, विशेषकर जब वह गहरा हो। योनि पर लालिमा और सूजन की उपस्थिति कम से कम इस बात का संकेत है कि या तो पूर्ण प्रवेश हुआ है या आंशिक प्रवेश हुआ है अथवा पीड़िता के विरुद्ध प्रवेश का जबरन प्रयत्न किया गया था। मोदी ने अपनी 'मेडिकल ज्यूरिप्रूडेंस' में राय दी है कि छोटे बच्चों में, कौमार्य आमतौर पर नहीं फटता है, लेकिन सूजन और लैबिया की खरोंच के साथ लाल और संकुचित हो सकता है। यदि अत्यधिक हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो अक्सर 'फोरचेट' और 'पेरिनियम' में विदारण हो जाता है। 'मोदी मेडिकल ज्यूरिप्रूडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी', 23वां संस्करण, पृष्ठ 928 का संदर्भ लिया जा सकता है। **'अमन कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य',** जो कि **2004 क्रि.एल.आर. (एस.सी.) 207** में प्रकाशित किया गया है, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"कंडिका-7 बलात्कार का अपराध गठित करने के लिए कौमार्य का फटना किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। योनिमुख में मामूली सा

प्रवेश भी बलात्कार के अपराध और कौमार्य के विदारण के लिए पर्याप्त है। योनिमुख में प्रवेश, चाहे वह हिंसा के साथ हो या बिना हिंसा के, उतना ही बलात्कार है जितना कि योनि के भीतर का प्रवेश। अधिनियम केवल प्रवेश के साक्ष्य की अपेक्षा करता है, और यह कौमार्य के अक्षुण्ण रहते हुए भी घटित हो सकता है। आपराधिक कृत्य प्रवेशन के साथ पूर्ण हो जाता है। यह सुस्थापित है कि अभियोक्त्री को सह-अपराधी नहीं माना जा सकता है और इसलिए, उसके साक्ष्य को बलात्कार के अपराध में सह-अपराधी के साक्ष्य के समान नहीं माना जा सकता है। जननांगों के परीक्षण में, कौमार्य की स्थिति सबसे विश्वसनीय संकेत प्रदान करती है। कौमार्य का परीक्षण करते समय, निष्कर्षों को कोई महत्व देने से पहले कुछ शारीरिक विशेषताओं को याद रखा जाना चाहिए। कौमार्य का आकार और बनावट परिवर्तनशील होती है। यह भिन्नता कभी-कभी बिना किसी चोट के प्रवेशन की अनुमति देती है। यह छिद्र के विशिष्ट आकार या बढ़ी हुई लोच के कारण संभव है। दूसरी ओर, कभी-कभी कौमार्य अधिक दृढ़, कम लोचदार हो सकता है और खिंच सकता है तथा पहले फट सकता है। इस प्रकार अपेक्षाकृत कम बलपूर्वक किया गया प्रवेश उन चोटों को जन्म नहीं दे सकता है जो आमतौर पर बलपूर्वक किए गए प्रयास से संभव होती हैं। कौमार्य के संबंध में वह शारीरिक विशेषता जो विचार योग्य है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वह उसकी शारीरिक स्थिति है। सकारात्मक महत्व में कौमार्य के पश्चात् लेकिन आवृत्ति में उससे अधिक, लैबिया मेजोरा पर लगने वाली चोटें हैं। ये, अर्थात् लैबिया मेजोरा, पुरुष अंग द्वारा सबसे पहले संपर्क में आने वाले अंग हैं। वे अभियुक्त द्वारा उपयोग किए गए बल और शक्ति के आधार पर कुंद प्रहार के अधीन होते हैं और पीड़िता द्वारा इसका प्रतिरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त, शरीर पर अन्यत्र चोट के निशानों के लिए महिलाओं का परीक्षण साक्ष्य का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। बलात्कार का अपराध गठित करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि वीर्य के स्खलन के साथ लिंग का पूर्ण प्रवेश हो। योनिमुख या जननांग के लैबिया मेजोरा के भीतर वीर्य के स्खलन के साथ या उसके बिना आंशिक प्रवेश, विधि में परिभाषित बलात्कार का अपराध गठित करने के लिए पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा -376 के तहत दंडनीय अपराध में प्रवेश की गहराई महत्वहीन है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. बचाव पक्ष के अधिवक्ता का यह तर्क कि अभियोक्त्री एक सिखाई-पढ़ाई गई साक्षी है, इतना विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसकी माँ द्वारा केवल प्रथम सूचना प्रतिवेदन के संदर्भ में बातों को दोहराया गया प्रतीत होता है, क्योंकि न्यायालय में उसका कथन घटना की तारीख से लगभग एक वर्ष बाद अभिलिखित किया गया था। यह ध्यान देने

योग्य है कि घटना के समय अभियोक्त्री की आयु लगभग 6 वर्ष थी और साक्ष्य दर्ज करने के समय 8 वर्ष थी। इसके अतिरिक्त, स्पष्टीकरण प्रतिवेदन प्रदर्श पी-13 में डॉक्टर (अ.सा.-9) ने कहा है कि अभियोक्त्री के लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा में पीड़ा, लिंग के कारण उत्पन्न हो सकती थी अतः, अभिलेख पर उपलब्ध समग्र सामग्री को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष साक्षी के साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित हैं और बचाव पक्ष विपरीत साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त / अपीलार्थी को झूठा फंसाए जाने के तर्क को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. परिणामस्वरूप, अपील सारहीन होने के कारण खारीज किए जाने योग्य है और इसे खारीज किया जाता है। आक्षेपित निर्णय को एतद्द्वारा यथावत् रखा जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी जमानत पर है। उसके जमानत बंध पत्र निरस्त किए जाते हैं। उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई शेष दण्डादेश भुगतने के लिए तत्काल कारावास प्रेषित किया जाए।

हस्ता./-

(प्रीतिंकर दिवाकर)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By .....Neeta Verma.....